कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ0प्र0

पत्रांक :.....

दिनांक :.....

कार्यालय आदेश

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या–3402/32–जी0एस0/2026 दिनांक 28.05.2026 द्वारा शैक्षणिक परिसरों में छात्र–छात्राओं की सुरक्षा, सप्रभुता और मानसिक स्वतंत्रता को अक्षुण रखने, शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रभावित कर, भय दिखाकर, मानसिक दबाव बनाकर अथवा अनैतिक प्रलोभन देकर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के अवैध या बलपूर्वक धर्मान्तरण (Religious Conversion) अवाछित गतिविधियों को रोकने एवं परिसर में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान के स्तर से निम्नलिखित प्रभावी एवं निवारक कदम (Preventive Measures) तत्काल प्रभाव से उठाए जाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित अधिकारियों/शिक्षकों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है:–

क0सं0	निवारक कदम (Preventive Measures)	नाम	पद
4.1	**मेंटर मेंटी के साथ संवादः** मेंटर मेंटी के Session में इस विषय को सम्मिलित किया जाय तथा छात्रगणों को इस विषय के सम्बन्ध में पूर्णतया जागरूक किया जाय।	प्रो0 कुसुम यादव, जीव–रसायन विज्ञान विभाग	नोडल अधिकारी
4.2	**सघन निगरानी एवं अंतःसंचार** (Vigilance & Dialogue) विश्वविद्यालय एवं संस्थान स्तर पर 'एन्टी–रेडिकलाइजेशन' अथवा 'छात्र कल्याण प्रकोष्ठ' (Student Welfare Cell) को अत्यधिक सक्रिय किया जाए। शिक्षक अभिभावक बैठकों (PTA Meeting) और अनौपचारिक संवादों के माध्यम से विद्यार्थियों की मनोदशा और उनकी समस्याओं पर निरंतर दृष्टि रखी जाए।	मुख्य अभिरक्षक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	नोडल अधिकारी
4.3	**संवाद और परामर्श व्यवस्था** (Counseling Centers)**:** परिसर में सुदृढ़ और संवेदनशील परामर्श केंद्र (Counseling Cells) स्थापित किए जाएं, जहाँ यदि कोई विद्यार्थी किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव, प्रलोभन या सदेहास्पद बहकावे में हो, तो वह बिना किसी संकोच के अपनी बात साझा कर सके। उसकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाए।	प्रो0 अर्चना वर्मा, समाजशास्त्र विभाग	नोडल अधिकारी
4.4	**सुरक्षा एवं बाहरी तत्वों पर नियंत्रणः छात्रावासों** (Hostel)**:** और परिसर के संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। सस्था के छात्राबासों में अनधिकृत बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण (Surprise Inspections) सुनिश्चित किए जाएं।	कुलानुशासक	नोडल अधिकारी

Telphone: (O) 0522-2740412 Mobile: 7991200567,Email: registrar@jkouniv.ac.in

4.5	**जागरूकता एवं मूल्य–परक शिक्षाः** विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, तार्किक सोच और बिधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष व्याख्यान एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए, जिससे वे किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार या प्रलोभन का शिकार न हों।	प्रो0 शीला मिश्रा, सांख्यिकी विभाग	नोडल अधिकारी
4.6	**त्वरित विधिक कार्रवाई** (Proactive Legal Action): यदि परिसर के भीतर या छात्रावासों में किसी भी सस्था, समूह अथवा व्यक्ति द्वारा ऐसी सदेहास्पद गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास संज्ञान में आता है, तो स्थानीय प्रशासन एव पुलिस को तत्काल सूचित करते हुए, राज्य के प्रभावी धर्मान्तरण–विरोधी कानूनों के अंतर्गत कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।	निदेशक, विधिक प्रकोष्ठ	नोडल अधिकारी

संलग्नकःयथोपरि।

(डॉ0 भावना मिश्रा)
कुलसचिव

संख्या– 97-11195-250 **दिनांक–** 16/06/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, (अपर मुख्य सचिव स्तर), राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/प्रभारी, ल0वि0वि0।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ल0वि0।
5. वित्त अधिकारी, ल0वि0।
6. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0।
7. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, ल0वि0।
8. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल0वि0।
9. कुलानुशासक, ल0वि0वि0।
10. मुख्य अभिरक्षक, ल0वि0।
11. ओ0एस0डी0, आई0एम0एस0, ल0वि0।
12. उपरोक्त नोडल अधिकारियों को राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्र संख्या– 3402/32–जी0एस0/2026 दिनांक 28.05.2026 संलग्न करते हुये इस आशय से प्रेषित कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
13. समस्त् उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, ल0वि0।
14. इंचार्ज वेबसाइट को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड तथा समस्त् को ई–मेल के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें।
15. कार्यालय प्रति।

Bmisra

कुलसचिव

ई–मेल द्वारा

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्याः ई– 3402 / 32–जी0एस0 / 2026

दिनांकः 28/05/2026

प्रेषकः

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के
विशेष कार्याधिकारी
(अपर मुख्य सचिव स्तर)
उत्तर प्रदेश।

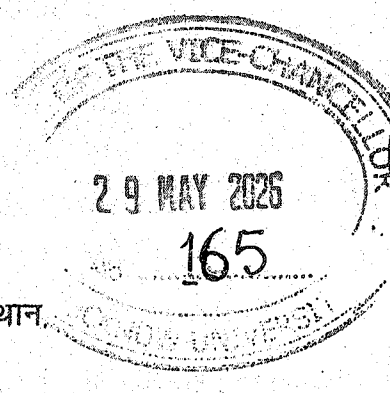

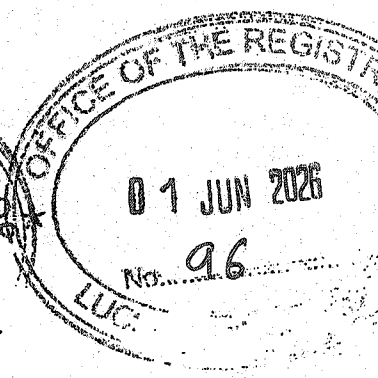

सेवा में,

कुलपति / निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय / संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

महोदय / महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि वर्तमान में शैक्षणिक परिसरों में विद्यार्थियों को प्रलोभन अथवा मानसिक दबाव द्वारा धर्मान्तरण के प्रयासों की खबरें प्रायः संज्ञान में आ रही हैं। एक सुरक्षित, धर्मनिरपेक्ष और अकादमिक वातावरण बनाए रखने हेतु यह अनिवार्य है कि प्रशासन सतर्क रहे और ऐसे प्रयासों को जड़ से समाप्त करने हेतु त्वरित रणनीति अपनाए।

2. उच्च शिक्षण संस्थान न केवल ज्ञान और नवाचार के केंद्र हैं, अपितु वे हमारे युवाओं के नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक चरित्र–निर्माण की आधारशिला भी हैं। शिक्षण परिसरों का वातावरण सदैव अकादमिक उत्कृष्टता, वैचारिक स्वतंत्रता और सौहार्द से परिपूर्ण होना चाहिए।

3. छात्र–छात्राओं की सुरक्षा, संप्रभुता और मानसिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा जाए। शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रभावित कर, भय दिखाकर, मानसिक दबाव बनाकर अथवा अनैतिक प्रलोभन देकर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के अवैध या बलपूर्वक धर्मान्तरण (Religious Conversion) के प्रयास पूर्णतः अवांछनीय, अनैतिक और विधि–विरुद्ध हैं।

Registrar

4. अतः इस प्रकार की अवांछित गतिविधियों को रोकने एवं परिसर में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय / संस्थान के स्तर से निम्नलिखित प्रभावी एवं निवारक कदम (Preventive Measures) तत्काल प्रभाव से उठाए जाने अपेक्षित प्रतीत होता है:–

D.R.(G-A)
02.6.2026

4.1 मेंटर–मेंटी के साथ संवाद : मेंटर–मेंटी के Session में इस विषय को सम्मिलित किया जाय तथा छात्रगणों को इस विषय के सम्बन्ध में पूर्णतया जागरूक किया जाय।

...2/

4.2 सघन निगरानी एवं अंतःसंचार (Vigilance & Dialogue): विश्वविद्यालय एवं संस्थान स्तर पर 'एन्टी–रेडिकलाइजेशन' अथवा 'छात्र कल्याण प्रकोष्ठ' (Student Welfare Cell) को अत्यधिक सक्रिय किया जाए। शिक्षक–अभिभावक बैठकों (PTA Meetings) और अनौपचारिक संवादों के माध्यम से विद्यार्थियों की मनोदशा और उनकी समस्याओं पर निरंतर दृष्टि रखी जाए।

4.3 संवाद और परामर्श व्यवस्था (Counseling Centers): परिसर में सुदृढ़ और संवेदनशील परामर्श केंद्र (Counseling Cells) स्थापित किए जाएं, जहाँ यदि कोई विद्यार्थी किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव, प्रलोभन या संदेहास्पद बहकावे में हो, तो वह बिना किसी संकोच के अपनी बात साझा कर सके। उसकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाए।

4.4 सुरक्षा एवं बाहरी तत्वों पर नियंत्रण: छात्रावासों (Hostels) और परिसर के संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। संस्था के छात्रावासों में अनधिकृत बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण (Surprise Inspections) सुनिश्चित किए जाएं।

4.5 जागरूकता एवं मूल्य–परक शिक्षा: विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, तार्किक सोच और विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष व्याख्यान एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए, जिससे वे किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार या प्रलोभन का शिकार न हों।

4.6 त्वरित विधिक कार्रवाई (Proactive Legal Action): यदि परिसर के भीतर या छात्रावासों में किसी भी संस्था, समूह अथवा व्यक्ति द्वारा ऐसी संदेहास्पद गतिविधियां को संचालित करने का प्रयास संज्ञान में आता है, तो स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को तत्काल सूचित करते हुए, राज्य के प्रभावी धर्मान्तरण–विरोधी कानूनों के अंतर्गत कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

5. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षणिक परिसरों में विद्यार्थियों को प्रलोभन अथवा मानसिक दबाव द्वारा धर्मान्तरण के प्रयासों को रोकने के दृष्टिगत उपर्युक्त प्रस्तर 4 के उप–प्रस्तर 4.1 से 4.6 में उल्लिखित प्रभावी एवं निवारक कदम के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ. सुधीर एम. बोबडे)
भा.प्र.से.(से.नि.)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
(अपर मुख्य सचिव स्तर)